न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—132/2010 (जीसीएमएस नं. 2010/00006)

1. बक्शी पदम कुमार पुत्र गलाब चन्द (दौराने अपील फौत)

1/1. कान्तादेवी बक्शी बेवा स्व पदम कुमार निवासी प्लॉट नम्बर 7, ढढढो का बाग (नवजीवन उपवन) मोती डूंगरी रोड, जयपुर।

1/2. बीना! टोग्या पुत्री स्व. श्री पदमकुमार पत्नी ईश्वर टोग्या जाति जैन निवासी फ्लेट नम्बर 2 साकेत कॉलोनी इन्दौर मध्यप्रदेश।

1/3. विनय बक्शी पुत्र स्व. श्री पदमकुमार निवासी प्लॉट नम्बर 7, ढढढों का बाग (नवजीवन उपवन) मोती डूंगरी रोड़, जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. अशोक बख्शी पुत्र भागचन्द जाति महाजन निवासी मेहन्दी का चौक बख्शी जवाहरमल का रास्ता रामगंज बाजार जयपुर।
2. सुनील बख्शी पुत्र भागचन्द, जाति महाजन निवासी मेहन्दी का चौक बख्शी जवाहरमल का रास्ता रामगंज बाजार जयपुर।
3. हेमलता बख्शी पुत्री भागचन्द पत्नी महावीर बडजात्या जाति महाजन निवासी डी—79, फलेट नम्बर 202, शारदा रेजीडेन्सी बापूनगर जयपुर।

——कन्टेस्टेड रेस्पोडेन्ट्स

4. महेन्द्र कुमार पुत्र गुलाबचन्द, जाति महाजन निवासी प्लॉट नम्बर 7, ढढढो का बाग (नवजीवन उपवन) मोती डूंगरी रोड़, जयपुर।
5. विक्रम बख्शी पुत्र नरेन्द्र कुमार जाति महाजन निवासी प्लॉट नम्बर 7, ढढढों का बाग (नवजीवन उपवन) मोती डूंगरी रोड़, जयपुर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जयपुर जिला जयपुर।

——प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

**उपस्थितिः—**

1. **श्री भगवान सहाय शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री हेमन्त सोगानी एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से**

## निर्णय

दिनांकः 12.07.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2010 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 145 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 146/1 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 146/2 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 147/1 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 148 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 149 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 152 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 7 कुल

P.T.O

संभागीय आयुक्त

रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा ग्राम नाहरगढ़, तहसील जयपुर जिला जयपुर के पूर्व रिकार्डेड खातेदार अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण के दादा, किस्तूरचन्द पुत्र जवाहर जाति महाजन थे, किस्तूरचन्द पुत्र जवाहर का वर्ष 1932 में स्वर्गवास होने पर विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता भागचन्द ने स्वयं को किस्तूरचन्द पुत्र जवाहर का एकमात्र पुत्र बताकर पटवारी हल्का एवं तहसीलदार से साज करके स्व. किस्तूरचन्द के अन्य वैध उत्तराधिकारियों अपीलार्थी को बिना सूचना दिये गुप्त रूप से नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया। उन्होने आगे कथन किया है कि पूर्व खातेदार स्वयं किस्तूरचन्द के दो पुत्र गुलाबचन्द (अपीलार्थी व प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट के पिता) एवं भागचन्द (रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता) थे, अपीलार्थी के पिता गुलाबचन्द का स्वर्गवास 26 जुलाई 1976 को विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत होने से पूर्व हो गया था हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के अपीलार्थी एवं भागचन्द एवं प्रारूपिक रेस्पाडेन्ट वैद्य उत्तराधिकारी है, अपीलार्थी को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण की जानकारी होने पर न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष अपील पेश कि जिसे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल व गलत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का आधार मातमी आदेश, दरबार आदेश तथा जागीर कमिश्नर का आदेश माना है जबकि उक्त निर्णय को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली में रिकार्ड पर लेने के कभी कोई प्रार्थना पत्र अपीलान्ट या रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश ही नही किया गया और नही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय को रिकार्ड पर लिया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भाग नही थे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनन जो दस्तावेजात नियमानुसार रिकार्ड पर नही लिये गये उनके आधार पर निर्णय पारित नही किया जा सकता था। इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बख्शी पदमकुमार के मुख्त्यारआम रामगोपाल सुरोयिला द्वारा पेश की गई जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 151 जाप्ता दीवानी का पेशकर अपील मेन्टेनेबिलिटि के बारे में प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर कथन किया कि अपील पेश करने की अनुमति विधिवत प्राप्त नही करने एवं असम्बन्धित एवं अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अपील प्रस्तुत होने से निरस्त किये जाने योग्य, रेस्पोडेन्ट का उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2010 को अस्वीकार किया गया जो अंतिम आदेश था इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मुख्त्यारआम रामगोपाल द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को आधारहीन होना मानकर अपील खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2010 न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देजर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.07.2010

P.T.O

राजस्व अपील प्राधिकारी आयुक्त

एवं नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 04.06.1986 ग्राम नाहरगढ़ तहसील जयपुर को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण तहसीलदार जयपुर के समक्ष किस्तूरचन्द के वारिसान को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित करने बाबत प्रतिप्रेषित किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 ने कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त ग्राम नाहरगढ़ तहसील जयपुर खाता संख्या 46 में वर्णित भूमि कृषि भूमि की श्रेणी में ही नही है, इसके अतिरिक्त भूमि खसरा नम्बर 145, 146/1, 146/2, 147/1, 148, 149, 152 के अलावा खसरा नम्बर 150 की भूमि जिनका कुल रकबा 6 बीधा 18 बिस्वा होता है, रेस्पोडेन्ट विपक्षी के स्वर्गीय पिता बख्शी भागचन्द के एकल स्वामित्व की सम्पत्ति रही है तथा रेस्पोडेन्ट के स्व. पिता सन् 1935 में अपने स्व. पिता किस्तूरचन्द जी के स्वर्गवास के पश्चात् जागीरदार (तनख्वाहदार) बने थे और इस बाबत 7 फरवरी 1935 को तत्कालीन जयपुर रियासत के यिमो के अन्तर्गत कॉन्सिल क्ष्‍द्वारा मातमी रिजोल्यूशन संख्या 3 द्वारा उन्हे जागीरदार घोषित किया गया था और उसी समय से जागीरदार के हैसियत में रेस्पोडेन्ट के स्व. पिता ग्राम शेखपुरा, नांगल, ब्रिदाखास व बिशनपुरा के जागीरदार रहते हुये जागीर के गांव व अतिरिक्त सम्पत्तियॉ जिनमें पुराना घाट का बाग रकबा 1 बीघा व ग्राम नाहरगढ़ तहसील जयपुर स्थित बाग सुविख्यात ''बख्शी जी का बाग'' व उसमें बनी तामीरात जिसका रकबा 12 बीघा रहा के मालिक काबिज व दाखिल थे। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित बाग स्व. बख्शी किस्तूरचन्द के पूर्वजों को बतौर ईनाम पट्टा मिति आसोज बुदी छठ सम्वत् 1860 द्वारा बदल की रकबा अदा करते हुये तत्कालिन जयपुर रियासत द्वारा अता किया गया था, कालान्तर में यह भूमि बिना लगानी बसीगे इनाम तत्समय राजस्व रिकार्डो में जागीरदार के नाम अंकित पीढी दर पीढी की जाती रही है तथा बतौर जागीरदारी के अंतिम रूप से रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. भागचन्द को वर्ष 1935 के रिजोलूशन के तहत अंतिम रूप से ठिकानेदार की हैसियत से उपलब्ध रही है। उन्होने यह भी कथन किया है कि वर्ष 1935 में रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. भागचन्द नाबालिंग थे इस कारण तत्कालीन जयपुर रियासत के नियमों के अन्तर्गत ठिकाने की सम्पत्तियों पर बख्शी भागचन्द की ओर से उनकी नाबालिंगी में कोर्ट ऑफ वार्डस का कब्जा रहा और उन्हे के द्वारा जागीरदार के हितार्थ व उसकी इच्छा के अनुरूप कब्जा व उपयोग हुआ।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी के पिता गुलाबचन्द ने मुकदमें दायर कर स्व. किस्तूरचन्द की अर्जित सम्पत्तियों में बंटवारा की मांगी की थी और इस बाबत विभिन्न अदालतों में मुकदमें चले थे इन मुकदमात में भी ठिकाने की सम्पत्ति को कभी क्लेम नही किया गया क्योंकि मातमी रूल्स के तहत मातमी जायन्दा बेटे के नाम की गई थी और इस बाबत स्व. गुलबचन्द ने अपनी सहमति भी दे दी थी, कालान्तर में विस्तार से सम्पत्तियों के बंटवारे के समय भी न्यायालय द्वारा विचारण किया गया और जयपुर हाईकोर्ट ने विचारण कर ठिकाने की जागीरदारी की सम्पत्तियों को स्व. भागचन्द की मानते हुये अंतिम निर्णय दिया कि जिस पर

P.T.O

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तत्कालीन जयपुर रियासत के ज्यूडियशिल मिनिस्टर सहित अन्य मिनिस्ट्रो गृह मंत्री व राजस्व मंत्री की सहमति पर रियासत जयपुर के राजा ने भी रिकमनडेशन को मंजूरी दी और यह भी स्पष्ट तौर से है कि रियासत काल में जयपुर के राजा पूर्ण सोवरन की श्रेणी में थे और उनका निर्णय अंतिम रहा कि जो दिनांक 23.03.1942 को पारित किया गया। इस ठिकाने की भूमि की बाबत वर्ष 1947 मे स्व़ बख्शी भागचन्द पूर्ण जागीरदार की हैसियत से काबिज हो गये और कबिज रहते हुये एकल स्वामित्वधारी हो गये इस कारण स्व. किस्तूरचन्द की मृत्यु पर प्राप्त हुई जागीर की सम्पत्ति की बाबत हिन्दू उत्तराधिकार की धारा 8 लागू ही नही होती है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि जागीर पुर्नग्रहण के समय स्व. बख्शी भागचन्द ने राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 23 के अन्तर्गत निजी सम्पत्तियों की सूचना प्रस्तुत की जिस पर दिनांक 08.05.1962 को डिप्टी कलक्टर जागीर को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर उक्त सूची की जांच की गई। दिनांक 08.01.1963 को सर्वसाधारण को उज्रात (आपत्तियॉ) प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया परन्तु किसी भी व्यक्ति मय स्व. श्री गुलाबचन्द द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ना किये जाने पर दिनांक 30.08.1963 की रिपोर्ट के आधार पर जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर ने केस संख्या 94 में दिनांक 13.01.1964 को आदेश पारित कर निजी सम्पत्तियों की सूची के क्रम संख्या 2 में वर्णित बख्शी गार्डन आमेर रोड, जल महल के सामने, जयपुर की उक्त सम्पत्ति जो कि वर्तमान में अपील में विवादग्रस्त भूमि है उसे बख्शी भागचन्द की निजी सम्पत्ति घोषित फरमा दिया और उसे आदेश को भी अपीलार्थी की ओर से किसी भी सक्षम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय आदि के समक्ष चुनौती ना दिये जाने के आधार पर वह आदेश अंतिम हो गया। उन्होने आगे कथन किया है कि दिनांक 07.02.1935 को मातमी का निर्धारण करने के काउन्सल ऑफ स्टेट के रिजोल्यूशन तथा जागीर कमिश्नर राजस्थान के निजी सम्पत्ति घोषित किये जाने के निर्णय दिनांक 13.01.1964 के अंतिम हो जाने के पश्चात् स्व. श्री बख्शी गुलाबचन्द अथवा अपीलार्थी बख्शी पदमकुमार को भूमि विवादग्रस्त में किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त ही नही हुए और इसलिये अपीलार्थी को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 126 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं समुचित सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् प्रकरण का विधिक एवं न्यायिक प्रक्रिया के तहत परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2010 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रवली के अवलोकन से जाहिर होता है कि बख्शी किस्तूरचन्द जी का स्वर्गवास दिनांक 23.04.1932 को होने के पश्चात् दिनांक

**P.T.O**

सभापति आयुक्त
जयपुर

07.02.1935 को मातमी बख्शी भागचन्द जी के पक्ष में निर्धारित की गई है, तथा कोर्ट ऑफ वार्डस ने कब्जा बख्शी भागचन्द जी को दिनांक 11.07.1947 को संभलाया है तत्पश्चात् दिनांक 01.08.1954 को जागीरी पुर्नग्रहण होने के पश्चात् जागीर कमिश्नर ने दिनांक 13.01.1964 को विवादित भूमि को बख्शी भागचन्द की निजी सम्पत्ति घोषित किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा अथवा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि मातमी आदेश दिनांक 07.02.1935, दरबार के आदेश दिनांक 23.03.1942 एवं जागीर कमिश्नर के आदेश दिनांक 13.01.1964 को किसी भी सक्षम न्यायालय ने अवैध या शून्य घोषित किया गया हो। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 126 को निरस्त करने सम्बन्धी कोई ठोस आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध ही नही रहे है। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2010 में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2010 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।